

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 10 सन 2021

अनवान :-

1. बलवीर पुत्र रत्नाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 19/7/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा गंगोई के खाता संख्या 42/38 के खसरा न0 139/79 की कुल 3.7310हैक् व खसरा न0 30/0.3040हैक् खसरा न0 40/1.6950हैक् कुल 5.7300हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण बजीर वल्द रामरतन दर्ज हो गया जबकि सायल का सही नाम बलवीर पुत्र रत्नाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है सायल का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायल का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , आयकर विभाग का पैन कार्ड सभी में सायल का नाम बलवीर पुत्र रत्नाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायल अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा गंगोई के खाता संख्या 42/38 के खसरा न0 139/79 की कुल 3.7310हैक् व खसरा न0 30/0.3040हैक् खसरा न0 40/1.6950हैक् कुल 5.7300हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि में सायल का नाम बजीर वल्द रामरतन के स्थान पर बलवीर पुत्र रत्नाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा गंगोई के खाता संख्या 42/38 के खसरा न0 139/79 की कुल 3.7310हैक् व खसरा न0 30/0.3040हैक् खसरा न0 40/1.6950हैक् कुल 5.7300हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार हैं।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण बजीर वल्द रामरतन दर्ज हो गया जबकि सायल का सही नाम बलवीर पुत्र रत्नाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है सायल का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायल का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , आयकर विभाग का पैन कार्ड सभी में सायल का नाम बलवीर पुत्र रत्नाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायल अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मोजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 के खसरा न0 139/79 की कुल 3.7310हैक् व खसरा न0 30/0.3040हैक् खसरा न0 40/1.6950हैक् कुल 5.7300हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि सायल के नाम बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें सायल का नाम बजीर पुत्र रामरतन दर्ज है।

सायल का कथन है कि उसका सही नाम बलवीर पुत्र रत्नाराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है सायल ने अपने कथनो के समर्थन में दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , पैन कार्ड , आदि पेश किये सभी दस्तावेजात सायल का नाम बलवीर पुत्र रामरतन दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रतीत होता है कि सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है न्यायहित में सायल अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मोजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 के खसरा न0 139/79 की कुल 3.7310हैक् व खसरा न0 30/0.3040हैक् खसरा न0 40/1.6950हैक् कुल 5.7300हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि में बजीर पुत्र रामरतन के स्थान पर बलवीर उर्फ बजीर पुत्र रत्नाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 10/2021 अनवानी बलीवीर बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. बलवीर पुत्र रत्नाराम जाति जाट निवासी गंगाई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 10/2021 अनवानी बलवीर बनाम सरकार में दिनांक 19/7/21 को निर्णय पारित किया जाकर रोही मोजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 के खसरा न0 139/79 की कुल 3.7310हैक व खसरा न0 30/0.3040हैक खसरा न0 40/1.6950हैक कुल 5.7300हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि में बजीर पुत्र रामरतन के स्थान पर बलवीर उर्फ बजीर पुत्र रत्नाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)